

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16/02/2024

रजिस्टर्ड नम्बर  
2024/24

प्रवेश तिथि  
06-03-2024

निर्णय दिनांक  
31-07-2024

1. मिश्रीलाल पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिया का बास तह0 व जिला अलवर।
2. नानग राम पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिया का बास तह0 व जिला अलवर।
3. जगदीश पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिया का बास तह0 व जिला अलवर।

— सायलान/प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती बरजी धर्मपत्नी लाल जाति बावरिया निवासी ग्राम निर्भयपुरा तह0 व जिला अलवर।  
(मृतक)  
1/1 —हनुमान पुत्र स्व. बरजी पुत्र स्व. लालाराम जाति बावरिया निवाससी ग्राम निर्भयपुरा तह0 अलवर हाल तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।
2. भू-आवंटन सलाहकार समिति अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान जर्गे अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी अलवर, राजस्थान।

— गैरसायलान/अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)  
भू-आवंटन नियम, 1970 विरुद्ध  
आदेश दिनांक 03-08-1978

उपस्थित:-

01-श्री गिराज प्रसाद गुप्ता  
02-श्री दाताराम गुप्ता



— वकील प्रार्थीगण  
— वकील अप्रार्थीगण

वकील प्रार्थीगण द्वारा (अर्ज) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 03.08.1978 जिसके द्वारा ग्राम सिया का बास तह0 व जिला अलवर की आराजी हाल खसरा न0 2/675 रकबा 2.53 है0 में से 0.76 है0 भूमि का आवंटन गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र नियम-14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम सिया का बास तह0 व जिला अलवर में स्थित आराजी ख0नं0 2 रकबा 148 बीघा 5 बिस्वा में से 2 मिन रकबा 3 बीघा आराजी जिसका हाल बन्दोबस्त संवत 2051 में हाल खसरा नंबर 2/675 रकबा 2.53 है0 में से 0.76 है0 कायम किया गया है, का आवंटन दिनांक 03.08.1978 को किया गया है। गैरसायला संख्या एक को उपरोक्त आराजी दिनांक 03.08.1978 को गलत रूप से आवंटित की गई है। भू-आवंटन कमेटी ने गैरसायला संख्या एक को उक्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व उक्त आराजी की बाबत सर्व साधारण की सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा न ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी की तथा मनमाने तरीके से आवंटन आदेश पारित कर दिया गया, जबकि उपरोक्त आराजी गैर-मुमकिन पहाड़ थी और नाकाबिल काश्त थी, जिससे आवंटन आदेश दिनांक 03.08.1978 अपास्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 2 रकबा 148 बीघा 5 बिस्वा का है, जिसमें से श्रीमती गोगली स्त्री निर्भयपुरा को 3 बीघा, श्रीमती बरजी स्त्री लाला बावरिया को 3 बीघा, रामसिंह पुत्र छज्जू मिरासी को 1 बीघा, हरिराम पुत्र श्रवण गुर्जर को 3 बीघा व श्रीमती कमला बेवा हरिसिंह को 10 बीघा जिसके बन्दोबस्त संवत 2051 में हाल खसरा नंबर 2 रकबा 32 है0 44 ऐयर, ख0नं0 2/674 रकबा 2.53 है0, ख0नं0 2/675 रकबा 2.53 है0 कायम किये गये हैं, वाके ग्राम सिया का बास तह0 व जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी गैर मुमकिन पहाड़ सिवायचक लगानी है। उक्त आराजी का

आवंटन नहीं किया जा सकता है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से प्रतिबंधित है जिस पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। गैरसायला संख्या 01 द्वारा उक्त आराजी पर कभी काश्त नहीं की गई है ना ही गैरसायला संख्या 01 का कभी कब्जा रहा है ना ही गैरसायला संख्या 01 को मौके पर कब्जा दिया गया है तथा उक्त आराजी नाकाबिल काश्त है एवं गैरसायला संख्या 01 आज भी गैर खातेदार है। भू-आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970 के नियम 5 के प्रावधानों की पालना नहीं की है, जिसके अंतर्गत तहसीलदार प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियों, सिंचित व असिंचित दोनों की सूची प्रपत्र 1 में तैयार करेगा और उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो सूची पंचायत, पंचायत समिति एवं तहसील के कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी। ऐसा भू-आवंटन कमेटी द्वारा नहीं किया गया है। भू-आवंटन कमेटी द्वारा उक्त भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उद्घोषणा नहीं की, जिससे भू आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 03.08.1978 अपास्त किये जाने योग्य है। भू-आवंटन कमेटी द्वारा भू-आवंटन नियम, 1970 के नियम 7 का उपनियम 2 के प्रावधानों की पालना नहीं की है, जबकि उद्घोषणा में दो सप्ताह की कालावधि या जनहित में जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए जारी की जावेगी, जिस खसरा नंबर का आवंटन किया जाना है, को उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जावेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उद्घोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी जिसकी पालना भू-आवंटन कमेटी द्वारा नहीं की गयी। भू-आवंटन सलाहकार समिति अलवर की आज्ञा एबनिशियो वोर्ड है, क्योंकि भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई आवंटित आराजी गैर मुमकिन पहाड़ सिवायचक लगानी है, जिसकी किस्म भी परिवर्तित नहीं की जा सकती है, क्योंकि गैर मुमकिन पहाड़ नाकाबिल काश्त है और नाकाबिल काश्त होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती है और उक्त आराजी वन विभाग की आराजी है। समिति द्वारा आवंटन करने के पश्चात् ना तो आवंटी को कब्जा दिया गया ना ही दखल दिया गया, क्योंकि उक्त आराजी नाकाबिल काश्त है, जिसका लगान भी तय नहीं किया जा सकता है। भू-आवंटन कमेटी द्वारा भू-आवंटन नियम, 1970 के नियम 13 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, क्योंकि उक्त आवंटन भू-आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण नहीं था, जिससे कोरम के अभाव में भू आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 03.08.1978 निरस्तनीय है। प्रस्तुतकर्ता प्रार्थना-पत्र भू आवंटन सलाहकार समिति अलवर तह0 व जिला अलवर जयें अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी अलवर तह0 व जिला अलवर के आदेश दिनांक 03.08.1978 के विरुद्ध होने से माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भू-आवंटन सलाहकार समिति अलवर तह0 व जिला अलवर जयें अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी अलवर तह0 व जिला अलवर के आदेश दिनांक 03.08.1978, जिसके द्वारा गैर सायला संख्या 01 श्रीमती गोगली धर्मपत्नी जीवण जाति बावरिया निवासी ग्राम निर्भयपुरा तह0 व जिला अलवर को आराजी खसरा नंबर 2 मिन रकबा 3 बीघा वाके ग्राम सिया का बास तह0 व जिला अलवर का आवंटन किया गया है, को अपास्त/मन्सूख फरमाये जाने की कृपा करें। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नजीरें CJ-civil 2017 (1) Page 428 RHC, RRT 2012 (1) Page 191, DNJ 2015 (2) REv P 81, RRD 2017 Page 415, DNJ 2020(4) Rev P 141, RRT 2021(1) Page 212, RRT 2017 (1) Page 443 पेश की हैं।


विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी का आवंटन मिन गैर सायला के नाम पर किया है, जिसकी सायला को शुरू से ही जानकारी थी, किन्तु सायलान ने करीब 35 साल बाद महज मिन गैर सायला को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जिस देरी का भी कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है एवं प्रार्थना-पत्र के साथ दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र भी पेश नहीं किया गया है। आराजी ख0नं0 2 रकबा 148 बीघा 5 बिस्वा में से 2 मिन रकबा 3 बीघा आराजी जिसका हाल बन्दोबस्त संवत 2051 में हाल खसरा नंबर 2/675 रकबा 2.53 है0 में से 0.76 है0 कायम किया गया है, वाके ग्राम सिया का बास तह0 व जिला अलवर मिन गैरसायला को दिनांक 03.08.78 को आवंटन किया गया था, शेष जिमन गलत है स्वीकार नहीं। यह गलत है कि उक्त आवंटन गलत तौर पर किया गया हो और आवंटनशुदा आराजी गैर मुमकिन पहाड़ हो, बल्कि जो आवंटन मिन गैर सायला नंबर 01 को किया गया है वो सही प्रकार से किया गया है व सायला को इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई हक हासिल नहीं है। भू-आवंटन सलाहकार समिति का आदेश किसी प्रकार से निरस्त फरमाये जाने योग्य नहीं है। यह गलत है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन पहाड़ हो व ना काबिल काश्त हो, बल्कि विवादित आराजी सिवायचक लगानी थी व

काबिल काश्त थी, जिसका आवंटन सही प्रकार से किया गया है। विवादित आराजी में से 03 बीघा आराजी मिन गैर सायला को आवंटित अन्तोदय योजना के तहत की गई थी, जिसका कब्जा भी उसकी समय मिन गैर सायला को दिलाया गया था। यह गलत है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन पहाड़ हो और उसका आवंटन नहीं किया जा सकता हो, बल्कि अलोटशुदा व सिवायचक लगानी थी। मिन गैर सायला को अलोट शुदा आराजी का कब्जा वक्त आवंटन ही मौके पर दे दिया था, जिस पर तभी से यानी वक्त आवंटन से मिन गैर सायला का कब्जा चला आ रहा है तथा जिसका इन्तकाल गैर खातेदारी भी मिन गैर सायला के नाम दर्ज व तस्दीक किया जाकर कागजात माल में मिन गैर सायला के नाम का इन्द्राज किया गया है व वर्तमान समय में भी मिन गैर सायला का कब्जा है व मौके पर काबिज है। भू-आवंटन सलाहकार समिति ने समस्त नियमों की पालना करने के पश्चात ही विवादित आराजी का आवंटन मिन गैर सायला के नाम पर किया है जिसकी सायला को शुरू से ही जानकारी थी, किन्तु सायलान ने अब करीब 35 साल बाद महज मिन गैर सायला को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जिस देरी का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। भू-आवंटन सलाहकार समिति ने सभी नियम व उप-नियमों की पालना करते हुए विवादित आराजी का आवंटन मिन गैर सायला के नाम पर व मिन गैर सायल के हक में किया है, जो सही है। यह गलत है कि भू-आवंटन सलाहकार समिति की आज्ञा एबनिशियो वोर्ड हो। विवादित आराजी सिवायचक लगानी है जिसका आवंटन सही प्रकार से किया गया है और जो काबिल काश्त आराजी है, जो राज्य सरकार की मिलकियत है। यह गलत है कि विवादित आराजी वन विभाग की हो और उसका आवंटन नहीं किया जा सकता हो, बल्कि जो आवंटन मिन गैर सायला के नाम पर व हक में किया गया है, सही प्रकार से किया गया है व विवादित आराजी काबिल काश्त आराजी है। विवादित आराजी गैर मुमकिन पहाड़ नहीं है, बल्कि सिवायचक लगानी है और काबिल काश्त है एवं जिसका आवंटन सही प्रकार से किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीण की ओर से प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नजीरें RRD 2017 Page 441, RRD 2016 Page 163, RRT 2021 (2) Page 835, DNJ(Raj.) 2016(2) Page 732, RRD 2017 Page 61, RRT 2023(2) Page 1218, RRT 2023(1) Page 559 पेश की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन-मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 03.08.1978 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भू-आवंटन नियम, 1970 दिनांक 30.08.2013 को पेश किया है, जो करीब 35 वर्ष विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र भी पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा पेश नजीरें RRT 2023(1) Page 559, RRT 2023 (2) Page 1218 पूर्णतया: चस्पा होती हैं। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भू-आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भू-आवंटन नियम, 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.08.1978 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)  
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)